न्यायालय अपर कलेक्टर जिला बैतूल (म.प्र.)

:: आदेश ::

क्रमांकः-29/अ-19(3)/2017-18/ 5430 बैतूल दिनांक 3 / 05 /2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उप महाप्रबंधक (सं./सं.) मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड मुलताई संभाग के पत्र क्रमांक: - उमप्र./सं.सं./सामा./17-18/4412, दिनांक 12-12-2012 द्वारा, ग्राम ग्राम चिखलीकलाँ तहसील मुलताई में स्वीकृत में 33/11 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण करने हेतु ग्राम चिखलीकलाँ तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 317 रकबा 0.259 हेक्टेयर में से 50X50=2500 वर्गमीटर भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2- आवेदक कंपनी द्वारा आवेदित किए अनुसार भूमि आवंटन के संबंध में तहसीलदार मुलताई /अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। प्रतिवेदक अधिकारियो द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार हैः-

(1)- आवेदक कंपनी द्वारा आवेदित किए अनुसार मौजा चिखलीकलाँ तहसील मुलताई स्थित खसरा 317 रकबा 0.259 हेक्टेयर में से 50X50=2500 वर्गमीटर भूमि आवेदित प्रयोजन हेतु आवंटित किए जाने के संबंध में उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई । निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई ।

(2)- दिनांक 2-10-2013 को आयोजित ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव क्रमांक- 8 पारित किया जाकर, ग्राम चिखलीकलाँ तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 317 रकबा 0.259 हेक्टेयर में से 50X50=2500 वर्गमीटर भूमि पर 33/11 के0 व्ही विद्युत उपकेन्द्र निर्माण करने का निर्णय लिया गया है।

(3)- वर्तमान राजस्व अभिलेख (खसरा) वर्ष के अनुसार, मौजा चिखलीकलाँ तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 317 रकबा 0.259 हेक्टेयर भूमि चरनोई मद में दर्ज है, अधिकार अभिलेख वर्ष 1971-72 के अनुसार उक्त खसरा नंबर घाँस मद में दर्ज है।

(4)- ग्राम चिखलीकलॉ का मकबूजा रकबा 1160.223 हेक्टेयर है, तथा ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा 56.294 हेक्टेयर है। ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत के मान से ग्राम में चरनोई का न्यूनतम रकबा 23.204 हेक्टेयर उपलब्ध होना अनिवार्य है। ग्राम में उपलब्ध चरनोई के रकबे में से 2500 वर्गमीटर भूमि आवेदित प्रयोजन हेतु आवंटित किए जाने के उपरांत भी चरनोई का न्यूनतम रक्षित रकबा प्रभावित नहीं होगा।

(5)- नायब तहसीलदार मुलताई (दुनावा वृत्त) /अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुलताई द्वारा, मौजा चिखलीकलाँ तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 317 रकबा 0.259 हेक्टेयर में से 50X50=2500 वर्गमीटर भूमि आवंटित करने की अनुशंसा की गई है।

3- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ -6-25 /2010 /सात/ नजूल दिनांक 18 अगस्त 2010 के अनुसार ऊर्जा विभाग द्वारा म0प्र0 शासन, के अन्तर्गत गठित मध्यप्रदेश विद्युत पारेषण कम्पनी मध्यप्रदेश विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों को शासकीय भूमि बिना प्रब्याजी के केवल रूपये एक रूपये वार्षिक भू-भाटक पर दिए जाने के प्रावधान हैं। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेष क्रमांक-क्रमांक 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8-11-2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः- 2489 दिनांक 25-2-2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड- चार -एक के अन्तर्गत शासकीय भूमि अंतरण संबंधी समस्त प्रकरणो के निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4- अतएव उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति एवं नायब तहसीलदार मुलताई (दुनावा वृत्त) /अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुलताई के प्रतिवेदन तथा अनुशंसा के आधार पर मौजा चिखलीकलाँ तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 317 रकबा 0.259 हेक्टेयर में से 50X50=2500 मीटर भूमि जिसे नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित किया गया है, को आबादी घोषित करते हुए, 33/11 के.व्ही.विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने के लिए

न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल (म.प्र.)

उप महाप्रबंधक (सं./सं.) मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बैतूल मुलताई संभाग (मध्यप्रदेश शासन ऊर्जा विभाग) को बिना प्रब्याजी के केवल रूपये एक रूपये वार्षिक भू-भाटक पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन आवंटित की जाती हैः-

(1) भूमि का उपयोग आवेदित प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जावेगा। अन्यथा अनाधिकृत कब्जेदार मानकर भूमि शासन में निहित कर दी जावेगी या भूमि का पूर्ण बाजार मूल्य देय पेनाल्टी आदि के साथ लिया जावेगा।

(2) शासन के प्रतिनिधि अधिकृत व्यक्ति तथा जिला कलेक्टर एवं उनके प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग हेतु तथा शर्तो के पालन के लिए कभी भी भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(3) भूमि पर प्रस्तावित निर्माण कार्य 6 माह के अन्दर प्रारंभ किया जाकर दो वर्ष के अन्दर पूर्ण किया जाना होगा उक्त समयावधि के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में भूमि पुनः राजस्व विभाग में वापस लिये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

पृ0क्र0:- 29/अ-19(3)/2017-18/5430 बैतूल दिनांक 3/ 05/2018

प्रतिलिपिः-

1- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई की ओर सूचनार्थ।

2- नायब तहसीलदार मुलताई (दुनावा वृत्त) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। राजस्व अभिलेख मे यथाआवश्यक संशोधन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

3- उप महाप्रबंधक (सं.सं.) मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बैतूल दक्षिण संभाग की सूचनार्थ।

4- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

5- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।

अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

4/5/18